विशेषताएँ

दसवीं, बारहवीं उत्तीर्ण करो,
आया स्वर्णिम अवसर।

सुविधानुसार सब काज करो,
व पढ़ो बैठ कर घर पर।।

सीधा दसवीं कक्षा में प्रवेश

कोई भी अभ्यर्थी सीधा दसवीं कक्षा में प्रवेश ले सकता है, लेकिन उसकी न्यूनतम आयु 14 वर्ष होनी चाहिए। अधिकतम उम्र सीमा नहीं हैं।

पाठ्यक्रम चुनाव की छूट

माध्यमिक में 16 विषयों में से तथा उच्च माध्यमिक में 24 विषयों की लम्बी सूची में से कोई पाँच विषय चुनने की सुविधा प्रदान की जाएगी।

प्रवेश और पंजीयन

01.07.06 से 16.08.06 तक (बिना विलम्ब शुल्क) व 31.08.06 तक (विलम्ब शुल्क) प्रवेश कार्य व पंजीयन कार्य किया जाएगा। न्यूनतम शुल्क लेकर 5 वर्ष तक प्रवेश मान्य।

मान्यता

राजस्थान सरकार एवं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर द्वारा कक्षा 10 एवं 12 कक्षाओं की परीक्षाओं को मान्यता।

सार्वजनिक परीक्षा

वर्ष में दो बार परीक्षा का आयोजन होगा। पाँच विषय उत्तीर्ण करने के लिए 5 वर्ष में 9 परीक्षा के अवसर उपलब्ध होंगे। इच्छानुसार एक या अधिक विषय में परीक्षा देने की सुविधा उपलब्ध है।

क्रेडिट स्थानान्तरण

कक्षा 10 अथवा 12 में अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों को दो उत्तीर्ण विषयों के अंक स्थानान्तरण की सुविधा दी जाएगी। उसे इन दो विषयों में पुनः परीक्षा नहीं देनी।

व्यक्तिगत संपर्क कार्यक्रम

वर्ष में तीन बार सम्पर्क केन्द्र पर आयोजित व्यक्तिगत सम्पर्क कार्यक्रम में विषयाध्यापकों द्वारा अभ्यर्थियों की समस्याओं का निराकरण, परीक्षा-तैयारी कराई जाएगी।

क्रेडिट जमा होना

परीक्षार्थी जिन-जिन विषयों में उत्तीर्ण होते जाते है उनके उत्तीर्णांक जमा होते रहते हैं। पाँच विषयों में 33 प्रतिशत प्राप्तांक पर परीक्षार्थी को प्रमाण पत्र जारी किया जाता है।

निःशुल्क पाठ्यसामग्री वितरण

विद्यार्थियों को पाठ्यसामग्री हेतु अतिरिक्त शुल्क जमा नहीं करवाना पड़ेगा। वे सन्दर्भ केन्द्र से पाठ्यसामग्री निःशुल्क प्राप्त कर सकेंगे।

दोहरा नामांकन/आंशिक प्रवेश

कोई भी ऐसा विद्यार्थी जो विद्यालय में औपचारिक रूप से अध्ययन कर रहा हो या उच्च शिक्षा उत्तीर्ण कर चुका हो वह अपनी शैक्षिक योग्यता बढ़ाने के लिए चार अथवा कम विषयों में पंजीकरण करा सकता है उसे उत्तीर्णांकों की सूची प्रदान की जायेगी।

विस्तृत जानकारी के लिए सम्पर्क करें :–

राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल, 2ए-2 पाठ्यपुस्तक मण्डल परिसर, झालाना संस्थानिक क्षेत्र,
जयपुर फोन-0141-2705067 अथवा
जिला मुख्यालय एवं पंचायत समिति मुख्यालय पर स्थिति 325 सन्दर्भ केन्द्र